न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 78/2017 उनवान

1कान्ता देबी पत्नि श्रवणलाल जाति खटीक निवासी रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक
वादीया

बनाम

1लक्ष्मण पुत्र छोटू जाति माली निवासी रानोली तह0 पीपलू
2.नर्बदा पुत्री छोटू जाति माली निवासी रानोली तह0 जिला टोंक
प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :– श्री राजाराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– अनु0

निर्णय दिनांक :16.2.2018

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 320/6 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 320/7 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीधा वाके ग्राम रानोली तहसील पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया ही खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । तथा अप्रार्थीगण 1 ता 2 का किसी प्रकार कोई सबंन्ध नही है प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि को जबरन हडपने व प्रार्थी को भूमि में से बेदखल करने एवं मजाहमत करने एवं बिना किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने पर अमादा है। जिसका उनको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण को एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादीगण न0 1 व 2 बाउजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई ।

हमने बहस अभिभाषक वादी की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधिवक्ता के निवेदन करने पर प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन पर वादी की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 320/6 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 320/7 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीधा वाके ग्राम रानोली तहसील पीपलू में स्थित होना सिद्व होने से दावा इस प्रकार डिकी किया जाता है कि प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द किया जाता है।

डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू